

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी का स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है-

क्र.सं.	नाम कार्मिक भी/ श्रीमती/ सुभी	छह से राजमादि/ राजाउमादि	जिला	कहाँ को राजमादि/ राजाउमादि	जिला
1	MANROOP MEENA	UNDER TRANSFER FROM GOVT. A SR.SEC.SCHOOL, SHIVSINGHPURA LALSOT (DAUSA), (218133) TO GOVT.SR.SEC.SCHOOL RAGELA, DOVDA (08270706904) (DUNGARPUR)	DUNGARPUR	G. SR. SEC. SCHOOL BONLI, BOUNLI (08100203718) (BAMANWAS (ST))	S.MADHOPUR

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। जिन कार्मिकों का परोवीकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जाएँ। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/ नगर परिषद्/ नगर पालिका/ शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/ निलम्बित/ कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/ पदस्थापन पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें एवं निदेशालय को सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएँ। एम.एड. योग्यतावारी कार्मिकों को ही डॉइट में कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण करवाया जावे। पद विरुद्ध अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर विरुद्ध अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जाएँ।

(निदेशक डिफेल)

अर्द्ध-प.ए.रा

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/ संस्था/ सी-१ / स्थानान्तरण/ अंग्रेजी/ 2019-20

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

दिनांक- 29/09/19

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभारी)प्रा.मा.शिक्षा एवं माषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(युप-२)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 शासन उप सचिव, शिक्षा(युप-२)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा/ जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक
- 5 सम्बन्धित मुख्य व्यक्ति शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति दें।
- 6 सम्बन्धित शाला/ संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जाएँ।
- 7 अनुमाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुमाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण की प्रभावी मोनिटरिंग करें।
- 8 सिस्टम इनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुमाग को विभागीय टेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- 9 सम्बन्धित कार्मिक
- 10 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर